# राजस्थान सरकार
# निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
# 2, जलपथ गांधी नगर, जयपुर

एफ.3 (3)(1)पो/अयो/विविध/सबावि/2003 26054-353 जयपुर, दिनांक 22.4.09

उप निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त।

विषय :— बाल एवं मातृ पूरक पोषाहार--बेबी मिक्स/पंजीरी (सत्तू) की मांग, प्राप्ति एवं वितरण के सम्बन्ध में।

प्रसंग :— विभागीय समसंख्यक परिपत्र कमांक–8023–8330 दि 11.02.08, 58670--961 दि. 06.10.08 एवं 2128–2422 दि. 13.01.09

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्रों के द्वारा आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, 0 से 6 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को वितरण हेतु आवंटित किये जा रहे बाल एवं मातृ पूरक पोषाहार कमशः एक माह बेबी मिक्स एवं अगले माह पंजीरी (सत्तू) के सम्बन्ध में समय--समय पर जारी दिशा--निर्देशों के कम में विस्तृत दिशा--निर्देश जारी किये गये थे। विभागीय अधिकारियों द्वारा परियोजना कार्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उप निदेशक कार्यालयों से प्राप्त मासिक सूचना रिपोर्ट आदि के अवलोकन से यह ध्यान में आया है कि बाल एवं मातृ पूरक पोषाहार--बेबी मिक्स/पंजीरी (सत्तू) की प्राप्ति एवं वितरण के सम्बन्ध में निदेशालय के निर्देश दिनांक 11.02.08 एवं 06.10.08 एवं 13.01.09 की ठोस अनुपालना नहीं की जा रही है।

उक्त निर्देशों के बिन्दु संख्या--10 के अनुसार बाल विकास परियोजना अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई थी कि जिन बाल विकास परियोजनाओं के गोदाम उनके मुख्यालय से दूर राजस्थान वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन अथवा किराये के भवन में अधिक दूरी पर स्थित है उनके स्थान पर गोदाम की व्यवस्था विभागीय भवन अथवा स्थानीय स्तर पर ही करें। इस हेतु विभागीय स्वीकृति की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव अविलम्ब निदेशालय को प्रस्तुत करें। लेकिन कुछ जिलों एवं परियोजनाओं में इन निर्देशों की पालना अभी भी अपेक्षित है। अतः पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि जिन परियोजनाओं के गोदाम राजस्थान वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन जो परियोजना मुख्यालय से भिन्न स्थान पर अथवा किराये के भवन में अधिक दूरी पर स्थित है उनके स्थान पर कार्यालय भवन के पास ही गोदाम की व्यवस्था शीघ्र करें।

बाल विकास परियोजना अधिकारियों को नवीन सर्वे के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत हुये लाभान्वितों की बढ़ी/घटी संख्या के अनुसार पूरक पोषाहार की मांग निदेशालय को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही यह अपेक्षा की गई थी कि किन्हीं कारणों से आगामी माह के लिए पोषाहार की आवश्यकता नहीं हो तो महीने की 15 तारीख तक पोषाहार आवंटन नहीं करने हेतु अतिरिक्त निदेशक (पो) के दूरभाष संख्या–0141--2700246 अथवा फैक्स न0–0141--2705638 पर सूचना देनी चाहिए। उक्त निर्देशों की पालना भी नहीं की जा रही है एवं नवीन सर्वे के अनुसार पूरक पोषाहार की मांग बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा अभी भी अपेक्षित है।

पोषाहार प्राप्त होते ही उसका परिवहन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तुरन्त किया जावे ताकि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार प्रतिमाह निर्धारित समय पर प्राप्त हो सके तथा इसका वितरण निर्धारित दिन में लाभान्वितों में हो सके। आंगनबाड़ी केन्द्र किसी भी स्थिति में सूखे नहीं रहे। यदि परिवहन सम्बन्धी व्यवधान आ रहा हो तो उसके लिए बिना विलम्ब किये वैकल्पिक व्यवस्था की जावे। पोषाहार प्रतिमाह प्राप्ति के अधिकतम 10 दिवस में प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर परिवहन नहीं किये जाने पर उप निदेशक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी की संयुक्त जिम्मेदारी होगी।

नवीन सर्वे के अनुसार पोषाहार की मांग में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। अतः नवीन सर्वे के अनुसार सर्वे रजिस्टर/सूचना के ध्यानपूर्वक अध्ययन उपरांत तथा पूर्व विस्तृत सर्वे सम्बन्धी विभागीय निर्देशों के अनुसार प्रतिमाह प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए श्रेणीवार लाभान्वितों की संख्या निर्धारित करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा तदानुसार लाभान्वितों को पंजीकृत किया जावे। बाल विकास परियोजना अधिकारी पंजीकृत लाभान्वितों की संख्या के अनुसार पूरक पोषाहार की आवश्यकता की गणना करें। यदि अतिरिक्त पोषाहार (वर्तमान आवंटित मात्रा से) की आवश्यकता हो अथवा कमी करनी हो तो संशोधित आवंटन हेतु मांग--पत्र अविलम्ब निदेशालय को प्रस्तुत करें। उक्त दिशा--निर्देशों की ठोस अनुपालना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

**निदेशक**
**समेकित बाल विकास सेवाएं**
**राज. जयपुर।**

एफ.3 (3)(1)पो/अयो/विविध/मबावि/2003 26354-378 जयपुर, दिनांक 22.4.09

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--**

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला अधिकारिता एवं कल्याण, राज. जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त महिला अधिकारिता एवं पदेन शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. प्रभारी अधिकारी, निरीक्षण दल मुख्यालय।

21/4/09

**अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)**